राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1103/2025

दानबिहारी शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप आयुक्त सह संयुक्त सचिव (प्रशासन–II), सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बाडमेर।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, बाडमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 17.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मुनीश कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति, लवाण, जिला दौसा में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, समदडी, जिला बाडमेर किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उसका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा जिला बारां से जिला अलवर किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का 3 वर्ष में 6 बार स्थानांतरण किया गया है, जो स्थानांतरण नीति के अनुसार अनुचित है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.01.2025 के द्वारा लवाण, जिला दौसा से समदडी, जिला बाडमेर किया गया है। आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को जिला बारां से जिला दौसा पदस्थापित किया गया है और आलोच्य आदेश में लवाण, जिला दौसा से खण्डार, जिला सवाई माधोपुर स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुये समदडी, बाडमेर किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि एवं नियम विरूद्धता नहीं मानी जा सकती। चूंकि अपीलार्थी को रिक्त पद पर स्थानान्तरण किया गया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। अधिकरण द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष